15.44 hrs.

KHUDA BAKHSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY (AMENDMENT) BILL —*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now we take up further discussion on the Khuda Bakhsh Oriental Public Library (Amendment) Bill.

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, मैं खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी विधेयक, 1969 की धाराओं 27(3) और 28(4) का संशोधन करने के वास्ते जो विधेयक पेश किया गया है उससे सहमत हूं । लेकिन इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था । इसे बहुत ही अन्य मनस्कता के साथ आज लाया गया है । यह लाईब्रेरी बिहार के पटना नगर में है । वहां अरबी, फारसी आदि की पुस्तकों और मुगलकालीन पैंटिंग्ज का एक अभूतपूर्व खजाना है । इसमें करोड़ो रुपये की लागत की सामग्री है और सालों से इस लाइब्रेरी में होने के कारण उचित रख-रखाव के अभाव में यह पांडुलिपियां नष्ट हो रही हैं और इनमें फंगस लग रही है ।

यह खुशी की बात है कि सरकार ने 1970 में ऑटोनामस बोर्ड बना कर बिहार के राज्यपाल की अध्यक्षता में इसके देख रेख और रखरखाव की व्यवस्था की । तब से इसकी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की जा रही है । लेकिन इस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की जो उचित देखरेख और व्यवस्था होनी चाहिये वह अभी तक नहीं हो पा रही है । बिहार सरकार इस दिशा में बहुत ही अनभयस्क है । शुरू से आज तक का काम देखा जाय तो हर साल 2,000 से ले कर 3,000 रु० बिहार सरकार भी खर्च करती रही है अनुदान के रूप में । जब जनता सरकार बनी तो जनसंघ के वित्त मंत्री ने 50,000 रु० का बड़ा अनुदान दिया और उसके रखरखाव तथा पुस्तकालय के विस्तार के लिये और भी सुझाव दिये । लेकिन वह सरकार ही अधिक दिन तक नहीं चल सकी, नहीं तो और व्यवस्था होती ।

इस पुस्तकालय में 13,000 पांडुलिपियां हैं । अनमोल अरबी और फारसी किताबों का बहुत बड़ा खजाना है विश्व का, जिसका मूल्य करोड़ो रु० में भी नहीं आंका जा सकता है । लेकिन इस पुस्तकालय की अभी तक उपेक्षा ही हो रही है । 1, 2 लाख रु० ही भारत सरकार देती है जिससे समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है । इस पुस्तकालय को जब राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की है तो राष्ट्रीय गौरव के लिये इसका स्तर ऊंचा करना चाहिये । उसकी उचित व्यवस्था, प्रसार और भवन निर्माण तथा अधिकारियों की नियुक्तियों और अनुसंधान कार्य के लिये उचित प्रावधान करने की जरूरत है ।

इस पुस्तकालय में जो संग्रह है उसके अतिरिक्त भी खजुआ संग्रह, सर फखरुद्दीन कलक्शन, डा० शमीम कलक्शन, इस्लामपुर कलक्शन, हुसैनाबाद कलक्शन और महल कनक्शन के अतिरिक्त अलीगढ़, रामपुर और फुरवारी शरीफ जैसे बड़े पुस्तकालयों से भी पांडुलिपियां संग्रह की गयीं । अभी भी बहुत सी ऐसी पांडुलिपियां हैं जिसके खरीदने की व्यवस्था अगर पुस्तकालय कर ले तो देश विदेश के स्कालर्स के लिये एक अच्छा लाइब्रेरी के रूप में इसको वर्धित किया जा सकता है ।

अभी भी अरबी, फारसी और गल्फ कंट्रीज के साहित्य और विद्वानों के लिये यहां अनुसंधान करने की बहुत गुंजाइश

है क्योंकि जो भी पांडुलिपियां हैं वह देखने लायक हैं और उनमें सोने से जो पेंटिंग की गई वह देखते ही बनती है और उनका मूल्य भी काफी है । लेकिन सैकड़ों वर्ष पुराने कागज की वैज्ञानिक ढंग से रखरखाव और फ्यूमिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसकी वजह से यह किताबें सड़ सकती हैं । चूंकि अभी तक जो कैटलाग बनाने का काम किया गया है, वह केवल आधी पुस्तकों का ही हो पाया है और आधी का अभी तक नहीं हुआ है । वहां के विशेषज्ञों का कहना है कि 2045 ईस्वी तक सारी पुस्तकों का संभवतः वैज्ञानिक ढंग से कैटेलाग बनाया जा सकेगा ।

इसी प्रकार से जिल्द बंधाई का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है । अगर उन पुस्तकों की जिल्द बंधाई ठीक ढंग से नहीं की गई तो भी किताबों का रख-रखाव ठीक नहीं हो सकता ।

18वीं शताब्दी की मज मउन नफायस बायोग्राफीकल डिक्शनरी की भी आवश्यकता है, उसके लिये भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उस समय के कवियों की जो मूल पांडुलिपियां हैं, उनको माइक्रो-फिल्मिंग, फोटोग्राफिंग और रियो-ग्राफी के द्वारा पुस्तकालय में संवारा जा सके ।

जहां इस लाइब्रेरी का प्रचार-प्रसार विश्व में अभी तक नहीं हो पाया है, भारत में भी बहुत से प्रान्तों में इसकी जानकारी नहीं है । इसलिये भारतीय दूतावासों के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका जो यहां से निकल रही है, उस मैगजीन के प्रकाशन के द्वारा सभी दूतावासों के जरिये अरबी, पशियन के देशों में इसका प्रचार-प्रसार करना चाहिये और वहां के विद्वानों को अनुसंधान के लिये बुलाना चाहिये । इसके द्वारा विदेशी मुद्रा भी भारत सरकार को हासिल हो सकती और लाभ हो सकता है ।

इसलिये यह भी जरूरी है कि विदेशों से आये हुए विद्वानों के लिये आवास की व्यवस्था होनी चाहिये । पुस्तकालय में अभी तक आडिटोरियम, कमेटी-रूम, आर्ट-गैलरी और डिस्प्ले रूम की भी व्यवस्था नहीं है । वहां एक मल्टीपर्पज हाल की भी व्यवस्था होनी चाहिये । इस सरकार को विचार कर के इसके लिये एक फंड की व्यवस्था करना आवश्यक है

वहां पर एक बड़े सहायक टेक्नीशियन, जो संरक्षण के विशेषज्ञ हों, उसकी भी बहाली करनी चाहिये ताकि किताबों के रख-रखाव में सुविधा हो सके ।

जब इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय स्तर का महत्व दिया गया है तो वहां पाली, संस्कृत, बंगला और तमिल व अन्य बहुत-सी भारतीय भाषाओं की पांडुलिपियां भी होनी चाहियें और उनके लिये भी समानान्तर व्यवस्था रखनी चाहिये ताकि अन्य धर्मों के लोग भी उसका लाभ उठा सकें । वहां सूफीज्म, सियाइज्म, इस्लाम-धर्म तथा अन्य धर्मों की पांडुलिपियां भी होनी चाहियें ताकि लोगों को अनुसंधान करने में सहायता हो और सभी पक्षों के लोग लाभ उठा सकें ।

श्री खुदा बख्श जी ने जिस महत्वकांक्षा से करोड़ों रुपये की पुस्तकें वहां जमा की थीं, उसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उनका नाम विश्व-विश्रुत हो जाये ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, खुदा बख्श ओरियन्टल

[श्री रामावतार शास्त्री]

पब्लिक लायब्रेरी अधिनियम, 1969 में जो संशोधन किया जा रहा है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और दो, तीन बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

यह बात स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है कि इस पुस्तकालय का महत्व कितना बड़ा है और ठीक ही कहा गया है कि इस पुस्तकालय में दुर्लभ पांडुलिपियां और मनिस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो और कहीं नहीं मिल सकते हैं और यह दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है, यह बात कही जा चुकी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अभी वहां पांडुलिपियां हैं, उनकी रक्षा हो सके, ऐसा उपाय सरकार को करना चाहिये । कभी कभी अखबारों में खबर निकलती है कि वहां पर पांडुलिपियों की चोरी हो रही है । यह आवश्यक है कि लायब्रेरी को वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराए जायें, ताकि उनका ठीक रख-रखाव किया जा सके । अफसोस की बात है कि वह इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मगर अभी तक वहां पर पांडुलिपियां और पुस्तकों को रखने के लिए कोई एयर-कंडीशन्ड कमरा नहीं है । अगर ऐसी व्यवस्था न की गई, तो क्या उन दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया जा सकेगा ? इसलिए सरकार को लाइब्रेरी के रख-रखाव की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि उन मैनुस्क्रिप्ट्स को हजारों सालों तक रखा जा सके ।

पांडुलिपियों की चोरी का पता कैसे लगे ? खुदाबख्श साहब ने जब 1892 में यह लाइब्रेरी बनाई—वह वहीं मुरादपुर मुहल्ले के रहने वाले थे—तब उन्होंने सब मैनुस्क्रिप्ट्स की सूची बनाई थी जब तक ओरिजिनल सूची से मिलान नहीं किया जाएगा, तब तक यह पता नहीं चल सकता कि कितनी पांडुलिपियां और पुस्तकें बची हैं और कितनी गायब हो गई हैं । मेरा अनुरोध है कि सरकार स्टाक-टेकिंग की व्यवस्था करे और पुराने कैटलाग से मिलान कर के देखे कि कौन कौन सी पांडुलिपि हैं और कौन कौन सी नहीं हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, वहां पर बंगला, संस्कृत, हिन्दी आदि संविधान की आठवीं सूची में दर्ज पंद्रह भाषाओं की बहुत सी दुर्लभ पांडुलिपियां भी हो सकती हैं ।

इस के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर की एक कमेटी बनाए, जो इस बात की जांच करे कि इस समय वहां पर क्या क्या चीजें हैं ? और पुस्तकालय की हिफाजत के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिएं । सरकार उस कमेटी के सुझावों पर अमल करे ।

इन दिनों वहां पर आपसी झगड़ा चल रहा है । पटना मेरा क्षेत्र है । मैं मंत्री महोदय को दावत देना चाहता हूं कि वह वहां आएं और मेरे साथ चल कर देखें कि वहां पर क्या विवाद है । वहां पर लोग आपस में झगड़ते हैं, जिसका असर स्वाभाविक रूप से पुस्तकालय की व्यवस्था पर पड़ता है । उन झगड़ों को मिटाना चाहिए । गवर्नर साहब, जो उसके अध्यक्ष हैं, अभी उन झगड़ों को नहीं मिटा सके हैं । उन्हें सब बातें मालूम हैं । मंत्री महोदय उन से पूछ सकते हैं ।

यह ठीक कहा गया है कि लाइब्रेरी का मकान डिलपिडेटिड कंडीशन में है । वह बिल्कुल पुराना, बाबा आदम के जमाने का मकान है । रेल मंत्री जी ने उसको देखा होगा । कितने ही मकानात बन रहे हैं, तो [क्या उस लाइब्रेरी के

लिए कोई मकान नहीं बनवाया जा सकता, जहां पुस्तकालय को रखा जाए, छात्र शोध-कार्य कर सकें और देश-विदेश के विद्वान लिख-पढ़ सकें और उन्हें सब सुविधाएं दी जा सकें ?

जहां तक लाइब्रेरी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अगर वे लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो जाहिर है कि वे सहयोग नहीं कर सकेंगे पुस्तकालय को ठीक तरह से रखने में । वहां पर बहुत से कर्मचारियों को कानून के खिलाफ नौकरी से निकाल दिया गया है । किसी से कुछ पूछा नहीं गया । जिसके मन में सनक आई, उसने किसी को निकाल दिया । इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि कितने कर्मचारी निकाले गए हैं, वे सही निकाले गए हैं या गलत निकाले गए हैं, अगर वे गलत तौर पर निकाले गए हैं, तो उन्हें फिर से नौकरी में रखा जाए । ऐसा करने से ही इस पुस्तकालय के महत्व और दुनिया में उसके नाम तथा प्रसिद्धि को कायम रखा जा सकेगा । सचमुच यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि वहां पर रखी गई सामग्री से हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कला का परिचय मिलता है ।

16.00 hrs.

तो ज्यादा से ज्यादा इस का रखरखाव हो, इस की सुरक्षा हो, इस को हम बचा कर हजारों साल तक रख सकें इस तरह का काम सरकार को करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस काम को करेंगे। मैं उनका जबाव सुनने के लिए रहूंगा नहीं, मुझे माफ करेंगे क्योंकि मुझे गाड़ी पकड़नी है।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस लिए भी समर्थन करता हूं कि मुझे भी पुस्तकों से बहुत प्रेम है। मैं वास्तव में इस कदम को एक श्रेष्ठतर कदम मानता हूं। यह कदम केवल आज की सन्तति के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी पुस्तकों के रूप में ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया एक प्रशंसनीय कदम है। मैं तो यह कहना चाहूंगा आज वह समय नहीं है कि जब मुगल दरबारों में किताब खाना केवल कुछ चुने हुए लोगों को पढ़ने के लिए या उनके ज्ञान के लिए हुआ करता था या अंग्रेजों के टाइम में केवल थोड़े से लोगों के लिए था। लाइब्रेरी का जो सिस्टम या माध्यम है वह केवल किताबें उधार देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इस सोशल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना इस देश में ज्ञान की वृद्धि और उस के प्रसार के लिए बहुत ही आवश्यक है अगर प्रजातंत्र की जड़ों को हमें मजबूत करना है क्योंकि जब तक आप इन्फार्मल एजूकेशन को वाचनालय के द्वारा इन्फार्मेशन सेंटर के द्वारा और पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा और सशक्त रूप से गावों में रहने वाले ग्रामीणों तक नहीं फैलाते, वहां तक इसका प्रसार नहीं करते, तब तक आप अपना आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यह जो लेजिस्लेशन वह लाए हैं इसके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि आज एक सशक्त माध्यम सोशल ट्रांसफार्मेशन का, सामाजिक परिवर्तन का और युग परिवर्तन का अगर कोई हो सकता है तो वह पब्लिक

श्री रामसिंह यादव]

लाइब्रेरी सिस्टम ही हो सकता है और उसके लिए मैं उन स्टेट्स को धन्यवाद देता हूं मद्रास में सन् 46 में सर्वप्रथम पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद आन्ध्र प्रदेश में भी उस ऐक्ट को लागू किया गया। फिर महाराष्ट्र में लागू किया गया, मैसूर में लागू किया गया। लेकिन एक यूनिफार्म पैटर्न पर पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट इस देश में नहीं बना। इसलिए मंत्री जी ने जो लेजिस्लेशन प्रस्तुत किया है इसकी तो हम सराहना करते हैं, सारा सदन सराहना करता है क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान को एक सुरक्षित भण्डार के रूप में रख रहे हैं, इससे बड़ी सेवा देश की दूसरी नहीं हो सकती है।

लेकिन इसके साथ-साथ हम यह चाहेंगे कि आप इस पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून लाएं जो कानून सारी स्टेट्स के ऊपर एन्ज्वायन अपान करे, यह आब्लिगेशन हो हर स्टेट पर कि प्रत्येक स्टेट एक पब्लिक लाइब्रेरी कानून बनाए और उस कानून के अन्तर्गत देहातों में ग्राम पंचायत के स्तर पर, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपल वार्ड के स्तर पर, ब्लाक लेवेल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर पब्लिक लाइब्रेरी की सुविधा दे जिस में इन्फोर्मेशन सेंटर हो, रीडिंग रूम हो जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी सशक्त रूप से ज्ञान का अर्जन कर सके।

आज हम याद करते हैं तक्षशिला और नालन्दा को जिन की लाइब्रेरी केवल इस देश के विद्वानों के लिए ही नहीं थी बल्कि विदेशों के विद्वान भी जिस में विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। सारे विश्व का ज्ञान, यहां विश्वकोष मिलता था, बहुत बड़ी शिक्षा लोगों को मिलती थी जिस की वजह से चाहे वह चीन के लोग हों या दूसरे देशों के लोग हों यहां पर आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। हम यह चाहते हैं कि लाइब्रेरी एजूकेशन जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है उस का विस्तार और प्रसार से आगे निरन्तर रूप से कानून के माध्यम से हम करें। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करता हूं कि वास्तव में इसके लिए एक अधिनियम लेकर वह पार्लियामेंट में आएं, एक पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट इंट्रोड्यूस करे और उस पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट में यह प्रावधान करे कि आपकी पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस सभी लोगों को मौहैया हो, ग्रामीण जनों को, साधारण आदमियों को सभी को मोहैया हो। उस में आप इस तरह के प्रावधान करें जिस से कि यह सेवा निरन्तर आगे बढ़ती रहे। हमारे शिक्षा मंत्री के पास यह पोर्टफोलियो है। मैं उन से निवेदन करूंगा कि उनका यह दायित्व है कि वे इस बात को देखें कि आज देश में कालेज खुल रहे हैं, इन्टर कालेज, डिग्री कालेज और पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खुल रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं लेकिन कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है कि वहां पर मिनिमम कलेक्शन आफ बुक्स क्या होना चाहिए आप जब तक किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए आब्लीगेटरी नहीं करेंगे प्रत्येक कालेज में इतनी किताबें कम से कम होनी चाहिए, उनका यह स्टैन्डर्ड होना चाहिए, इतनी लैंग्वेजेज में होना चाहिए तब तक कालेज यूनिवर्सिटी एजूकेशन का स्टैण्डर्ड एक यूनिफार्म लेविल तक नहीं आ सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप एजूकेशन कोड में, यूनिवर्सिटी ऐक्ट्स में और दूसरी स्टेट्स के जो एजूकेशन ऐक्ट्स हैं उन में

एक स्टैण्डर्ड आफ नार्म्स प्रेस्क्राइब कीजिए। जब इस प्रकार से आप शिक्षा के क्षेत्र में और पब्लिक लाइब्रेरी के क्षेत्र में कानून बनायेंगे तभी वास्तविक रूप में इस देश की सेवा हो सकेगी। और तभी आगे आने वाली पीढ़ी मंत्री जी को तथा जो लोग भी इस व्यवस्था स ताल्लूक रखते हैं उनको याद रख सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन करता हूं जसा कि यहां पर बताया गया है, यह एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। इस में अरबी, फारसी, संस्कृत, सभी भाषाओं की पाण्डुलिपियां एकत्र की गई हैं। यदि इनको अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जाए तो आगे आने वाले बहुत वर्षों तक उस देश के लोगों की पढ़ाई-लिखाई में इमदाद हो सकेगी। इनको सुरक्षित रखने के लिए मकान, पुस्तकों के रख-रखाव, कर्मचारियों आदि सभी की ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है जिसका लाभ सारे देश में पहुंचना चाहिए। श्री राम सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पंचायत समिति के लेविल, जिला के लेविल और प्रदेश के लेविल पर लाइब्रेरीज की व्यवस्था होनी चाहिए जिस से कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

आज इस देश में एडल्ट एजूकेशन तथा अन्य कई प्रकार की एजूकेशन्स पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे सब भूल जाते हैं क्योंकि गांवों में उस ज्ञान को बनाए रखने तथा उसको और आगे बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। इसको तभी रोका जा सकता है जब कि ग्राम पंचायत लेविल से लेकर ऊपर तक लाइब्रेरीज की उचित प्रकार से व्यवस्था की जाए। सरकार को इस ओर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहां सैकड़ों वर्षों तक राजा-महाराजाओं का राज रहा, फिर मुगल साम्राज्य रहा और उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा। मैं समझता हूं इन सभी राज के दर्म्यान इस देश के राजा-महाराजाओं के पास प्राचीन पुस्तकों का बहुत बड़ा संग्रह रहा है जिनको संग्रहीत कर के सरकार इस देश के लोगों को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। आज उस प्रकार की पुरानी पाण्डुलिपियां चुराकर विदेशों में ले जाई जा रही हैं और वहां पर वह बिक रही हैं। उनके सम्बन्ध में भारत सरकार या प्रान्तीय सरकारों द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है। इस लिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की जो भी पाण्डुलिपियां राजा-महाराजाओं, नवाबों या किसी के पास हों उनको एकत्र करके एक संग्रहालय बनाया जाए जहां पर वे विद्वानों, स्कालर्स तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके और इस प्रकार से यह देश उनसे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। मेरा निवेदन है कि देश में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमारे राजस्थान के टोंक में इसी प्रकार का उर्दू अरबी और फारसी का बहुत बड़ा संग्रहालय है, जिस को बहुत बड़े-बड़े लोगों ने सराहा है, लेकिन उस के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नही है, कोई देखभाल नहीं है। उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार को उसे अपने हाथ में लेना चाहिए। आज हमारी वह पुरानी धरोहर बिखराव की स्थिति

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

में है। मैं चाहता हूं कि उर्दू अकादमी उस को अपने हाथ में ले या भारत सरकार अपने लाइब्रेरी विभाग के तहत उस को अपने हाथ में ले टोंक का यह ग्रन्थालय बहुत पुराना ग्रन्थालय है जिस को "शाही महल" के नाम से पुकारा जाता है। इसको हमारे प्रेजिडेण्डट साहब ने भी देखा है, वाइस-प्रेजीडेण्ट साहब ने भी देखा है, विदेशों से लोग आकर इसको देखते हैं और सब ने इस की सराहना की है।

इस लिए मेरा सुझाव है कि सरकार इस संग्रहालय को अपने हाथ में ले और वहां पर एक अच्छी लाइब्रेरी स्थापित करे जिस से हिन्दुस्तान के पढ़े-लिखे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

DR. SUBRAMANIAM SWAMI (Bombay North East): Sir, the Bill is actually brought here on a very technical issue, a point raised by the Committee on Subordinate Legislation. This has given an opportunity for all of us to focus on the importance of this great Oriental Library. There is a book which was published in 1920 by a scholar from abroad, by name, Shri Kanar and he had the following to say about this library. I will read it for the benefit of the House.

"Mr. Baksh's passion for his books was intense indeed. The British Museum made him a magnificent offer for his collection. But he declined it. 'No' he said, "the collection is for Patna public, and the gift shall be laid at the feet of the Patna public." So the scholar writes:

"As I knew Khuda Baksh, he was indeed heroic. Here is a person who has for the sake of austerity in India foregone a big fortune which would have been given to him by the British Museum and decided to set up a library."

I am very happy indeed though late it was, but nevertheless it was done. In 1969, it was declared an Institute of national importance by an Act of Parliament. But the functioning of the Library is not being carefully monitored. In fact, the last report we have of the activities of this Library in 1979. We do not even have an uptodate report on the activities and what we find from that report also is that the Library's main function seems to be just to lend some books and nothing else. In fact, in that report, the only activity that they mentioned is that they have got 226 Members on its lending list. That is all. What kind of activities, other activities they did, is not mentioned there.

One of the problems perhaps is that this Library's ex-officio Chairman is the Governor. Governor has numerous functions and a scholarly place like a library must have somebody who can devote his full time to it and, therefore, I would say that this Act should, in fact, be amended further to see that some scholar is appointed. He could be a Member of Parliament. In fact, there are many scholars. Shri Kamalapati is a scholar. Prof. Tiwari is from that area. He too could look after it and there are many others. I think, it is improper for a Governor to be Chairman of a scholarly place. In fact, it should be somebody who would have a direct contact with it on a life basis....

PROF. N.G. RANGA (Guntur): He should be a well qualified curator.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Yes, he should be a well qualified curator. This is one thing I would like to suggest.

The second is, Patna is such a historical city; in our history, the Chandravamsa dynasty comes from Pataliputra which is Patna. For all the great figures, whether Ashoka or Chandragupta or Maurya, and so on, right down the line, Patna was the centre. That such a place should have an oriental library is fit and proper. But it should get the focus where there

should be a large number of Seminars, there should be matters of great national interest in history being debated.

I will give you an illustration. Today what is our history? I really do not know whether the history that is being taught in our schools is really the history of India. There is very great doubt in my mind. I happen to be a scholar of Chinese studies also; I speak that language. I was surprised when I read Fa-Hien's account of Pataliputra; he describes it as a city in ruins. Pataliputra is supposed to have come in 4th Century A. D. when, according to our histroy books, Vikramaditya Gupta was in the chair and it is supposed to be the peak of the Hindu period. Here is a clear contradiction. There is no explanation. We do not know whether the Gupta Empire was in the 4th Century or it was earlier because much of our history was written by the Britishers and it was based on a partial understanding of the records. In fact, the Britishers were keen to see that our history did not go beyond the Bible, much more than the Bible; there was always an upper limit. We do not know whether the Mahabharata was in 600 B.C. or 3,000 B.C. In fact, there are astronomical records which are important. The whole Aryan-Dravidian thesis is based on the British uderstanding of our history, that there is a city civilization called the Indus Vally; the Vedic race which was supported to be Aryan was described as a pastotal society; therefore, they assume that there were two races, the Vedic race which was pastoral and then there was the city civilization; therefore, there must have been two races, the Aryan and the Dravidian. However, if you have to accept another version of our history which is that the Vedas are 7,000 B.C. and earlier, then everything forms into a sequence and there is no such thing as Aryan and Dravidian. In fact, the racial theory would then evaporate. Therefore, we need an oriental library set in the proper context which looks at our history afresh—all the items. The whole chronology of our history taught in our schools today is wrong in my opinion. It is wrong to say that Sankaracharya was in 400 A.D.; in fact he was in 600 B.C. It is wrong to say that the Buddha was 600 B.C. when in fact he was 1400 B.C. that is what the Tibetans show. I is wrong to say that the Mahabharata was 700 B.C. when in fact it was 3,000 B.C. These are my interpretations of history. I am sure that, if there was a place where we could debate this in a sensible way, in a dispassionate way, we could arrive at the truth.

Unfortunately, today, the history is in the clutches of two kinds of people: those who were trained by the Britishers and who got their Ph.Ds. from them; they do not want their Ph.Ds. to because useless and, therefore, they continue with their myth; another group is the Marxist group who want to interpret everything as 'class struggle', if any part of our history showed that there was no class struggle, they reject it....

AN HON. MEMBER: It is objective. We do not want to distort.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: They call it an objective interpretation of history. They do not want to distort as long as everything fits into class struggle.

(Interruptions)

So, this is the key thing. The Khuda Bakhsh Library could become a focal point of that. The man who made this great sacrifice giving up all fortune had this to say, "I shall lay my books at the feet of the pepole of Patna". That must be the ideal library at the Centre. I am sorry he has come forward with scch a small legislation. He should have come forward with a bigger legislation for more money, for a more comprehensive Board of Directors, for staff like Curator as Prof. Ranga has correctly suggested and for many other things, so that we could say that the sacrifice of Khuda Bakhsh did not go in vain.

Thank you.

*SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): Mr. Chairman, Sir, I would like to express my views briefly on the Khuda Bakhsh Oriental Public Library (Amendment) Bill.

The Khuda Bakhsh Oriental Library is a world-renowned treasure-house of ancient knowledge and wisdom of our great country. The parent Act was passed some time in 1969 and this Library was taken over by the Government. After 12 years, this amending Bill has been introduced in this House. This amending Bill seeks to ensure that the rules and regulations framed under the parent Act are to be placed on the Table of the Parliament. It is really shocking that it should have taken 12 years for Government to bring such a minor amendment. This compels one to suspect whether adequate steps to maintain and to protect the valuable manuscripts in this Library have at all been taken by the Government during this period of 12 years. I doubt very much whether adequate resources were allotted for this purpose.

As Plan expenditure for 1980-81, Rs. 25 lakhs were allotted for the National Library in Calcutta and similarly for Raja Ram Mohan Roy Library Rs. 20 lakhs were allotted as Plan expenditure for 1980-81. I don't say that these sums are extravagant allotment. They may not even be sufficient to meet the needs of these Libraries. In fact, more funds may be necesary. But for Kudha Bakhsh Library the allocation for this purpose is less than Rs. 5 lakhs. It is time that the hon. Minister give some serious thought to this problem of libraries of national importance suffering for want of funds, particularly a library like Khuda Bakhsh Library having very rich manuscripts.

Here, I would like to take this opportunity to point that a sum of Rs. 7 lakhs was allotted to Thanjavur Maharaja Saraboji Saraswati Library as plan expenditure for 1980-81. The T.M.S.S. Library and Khuda Bakhsh Library have invaluable manuscripts which reveal the ancient culture and civilisation of our country and they should be allotted more funds if we want to preserve these manuscripts for posterity. If these are allowed to be decaved, naturally our history will be decimated for ever. The world renowned scholar and researcher in Libraries, Dr. Burnell has said that TMSS Library is perhaps the best and most important library in the world. There are 40,000 palm-leaf manuscripts in Marathi, Sanskrit, Tamil, and Telugu in this Library. More than 23,000 manuscripts are available in European languages. For the past 30 years the Government of India have been repeatedly saying that this Library would be declared as an institution of national importance. This assurance is being repeated year after year and yet this Library has not become an institution of national importance. In 1977 the Government of India constituted a Committee to go into the entire gamut of this Institution and this Committee has given several valuable recommendations. Barring the recommendation regarding the grant to be sanction, which has been accepted and implemented, all the other recommendations have not yet been implemented. I have to painfully point out that adequate steps have not been taken by Government for the maintenance and protection of manuscripts in TMSS Library. These manuscripts contain ancient systems of medicine in our country. We cannot allow them to decay. Similarly, the Khuda Bakhsh Library has invaluable manuscripts in Urdu, Arbic and Persian, which we cannot afford to lose on account of our lethargy in taking steps for their protection. We should leave them as the richest legacy for posterity so that future generations of our countrymen know what they have inherited from this great and ancient land.

*The original speech was delivered in Tamil.

I am sure that this amending will be only the means for achieving these laudable objectives. I extend my support to this Bill on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam and conclude my speech.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): Mr. Chairman, Sir, it is the firm conviction of the Government that the ancient Indian culture and civilisation will be transmitted for the benefits, for the posterity, of this country. With that intention, in 1969, the Government of India, has declared Khuda Bakhsh Oriental Public Library as a national institution itself. But, the present amending Bill is in relation to regulations. It is true that in 1957 there was an observation that whatever rules and regulations were framed they must be laid on the table of the House.

However, this particular library had come into force in 1969 and subsequently it was felt that the rules and regulations need not be laid on the table of the House. However, the Seventh Report of the Committee on Subordinate Legislation maintained that not merely the rules but also the regulations which were being framed by the Central Government must be laid on the table of the House. This recommendation has been accepted by Government. To give effect to this, the Khuda Bakhsh Oriental Public Library (Amendment) Bill was introduced in 1979. Later on, it was not taken up. Ultimately it has been brought before the Rajya Sabha in the month of November, 1980.

However, Sir, I convey my thanks to all the hon. Members who have given their unanimous support to this amendment. Some of the observations made by the hon. Members are quite valid and they need the attention of the Government. Government is paying its attention in order to meet those observations. For example, some Members have mentioned about the inadequate allocation of funds because of which the perservation and maintenanc of the valuable of the Library cannot be properly made. Sir, in the Sixth Plan Rs. 34 lakhs had been allocated for this Library. However, the Board has felt that this allocation is inadequate. Therefore, at the mo ment there is a proposal to have Rs. 74.6 lakhs provided for this Library in consultation with the Planning Commission. This is meant for the extension of the building. A second storey is going to be constructed. Apart from that it will be utilised for the acquisition of photography equipment and for preservation of rare Arabic and Persian collections. As has rightly been said by Dr. Subramaniam Swamy the person who took the pains to collect these in those days categorically refused to give them for any value to the British museum and said that he would keep these at the feet of the people of Patna. It is a heroic expression and the nation should be proud of it and, as such, Government will take all the appropriate steps to maintain the validity expressed by Khuda Bakhsh Sahib himhelf.

Sir, here in this Library we possess 75,000 printed books; 15,000 manuscripts and 2,000 paintings. Shrimati Krishna Sahi has made an elaborate reference to the contents of this Library. She said that there was a handwritten Koran of Humayun-Babar dating back to 1544. It is still there, Sir, such a rich heritage of our country will be maintained and for that reason the Government is taking all the necessary steps in order to see how best we can create an atmosphere for the scholars to come here and take the maximum advantage of the contents of the valuables available in order to create a new order in the society.

[Shri Mallikarjun]

Sir, one hon. Member mentioned that there should be scientific preservation. What is being preserved today is on the basis of advancement of Science itself and advantage will be taken of any future research in respect of preservation. Sir, some hon. Members in spite of giving absolute support have expressed that the Reports were not laid on the Table of the House. Annual Reports had been laid on the Table of the House from 1976-77 and the latest one was in 1979. So far as the change in the Governing Body is concerned it is not possible for the Government to accept this suggestion. Governor is ex-officio Chairman and there are other scholars in this Governing Body. One of the Members is Mr. K. C. Kidwai; he is a great scholar, as you know. There is another Professor Mr. Askari. He is from Patna. He is also a great scholar. These scholars know the value of these treasures; they know the worth of these books. We will take full care of these treasures. Government on its part will encourage its usefulness and preserve this treasure from all angles. We will be making all-out efforts in this direction. I do hope that the present consultations which are in progress with the Planning Commission will bear fruit. We are asking for the raising of the allocation from Rs. 35 lakhs to Rs. 74.6 lakhs. We hope that the Planning Commission will clear it up and we will be able to step up our activities. Staff matters also will be looked into, as well as matters relating to the two-storeyed building. An hon. Member referred to air-conditioned rooms and so on. All these things will be looked into. We will look into the question of renovation and all these things in order to permanently preserve these valuable treasures which have been inherited by us. We will make all our efforts in regard to all these matters.

Some suggestions were made by hon. Members about other famous libraries like the Maharaja's Saraswathi Mahal Library at Thanjavoor. They will also be given sufficient attention by the various State Governmnets and by the Central Government. Because, these famous libraries have also to be preserved equally. That is why the Library policy question has also to be periodically reviewed by the various State Governments. The time has come when Government has to review the National Library Policy because of the various factors mentioned. It will be quite relevant on the part of the Government to review the question of a National Library Policy.

The hon. Member Shri Girdhari Lal Vyas mentioned about Shahi Mahal Library. Such good libraries are there in various States where there are very many valuable books. I think now the time has come for the Government to make this kind of review for evolving a National Library policy.

I would like to express my heartfelt thanks to all the hon. Members who have participated in this Debate and given their support to this Khuda Bakhsh Oriental Public Library (Amendment) Bill.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to amend the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Act, 1969, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we take up Clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3. There are no amendments. I will put them to the vote of the House. The question is:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1— **Short title**

MR. CHAIRMAN: There is a Government Amendment: Amendment No. 4.

Amendment made:

Page 1, line 4,—

for "1980" *substitute* "1981"(4)

(Shri Mallikarjun)

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill

Enacting Formula.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up the Enacting Formula. There is a Government amendment—Amendment No. 3.

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Thirty-first" *substitute* "Thirty-second" (3)

(Shri Mallikarjun)

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.

SHRI MALLIKARJUN: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed".

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed".

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): सभापति महोदय, इस विषय में जितना कहा जा चुका है, वह पर्याप्त है और हमारे माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिलाया है मैं उसको मानने को तैयार हूं कि किसी अच्छी बात के लिए उन्होंने हौंसला दिखाया है और वह उसको पूरा करेंगे।

1969 में जब सरकार ने इस विषय को लिया तो 11 बरस के बाद भी यह स्थिति है कि वहां की महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों की यह दशा है तो क्या यह विश्वास करने के लिए आप आश्वस्त करेंगे कि आने वाले भविष्य में हम इसको एक राष्ट्रीय अभिलेखागार का स्वरूप दे सकेंगे?

अनेक प्रकार की धरोहर हमारे देश के अन्दर है। निश्चित रूप से हम इस बारे में भाग्यशाली हैं कि हमारे भारत वर्ष में संसार का पुरातन से पुरातन साहित्य उपलब्ध है, और पुरातन सांस्कृतिक अभिकृतियां उपलब्ध हैं जिन सब को सुरक्षित रखने का दायित्व सरकार पर आया है।

खुदा बख्श जी जिनके नाम से इस लाइब्रेरी की स्थापना हुई, उन्होंने अपनी जीवन की सारी पूंजी और अपने बाप-दादाओं की सारी पूंजी लगाकर इसकी स्थापना की। उसके पीछे कल्पना यही थी कि इस सारी बात को लम्बे समय तक अक्षुण्ण रखा जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि यह सुरक्षित पांडुलिपियां नष्टप्रायः होती जा रही हैं। अनेक पांडुलिपियां मिस-मैनेजमेंट के कारण चुराई जाती होंगी।

श्री सत्यनारायण जटिया

ब्रिटिश म्यूजियम जो कि दुनिया का बड़ा म्यूजियम है, बड़ा अभिलेखागार माना जाता है वहां सारी चीजें पहुंच जाती हैं। मेरा कहना है कि संसार की जो धरोहर हमारे पास है, क्या हम उसको सुरक्षित नहीं रख सकेंगे?

बहुत सारी मूर्तियां जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वह विदेशों में चली जाती है। ऐसा कैसे होता है? इसका मतलब यह है कि इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। नालन्दा, तक्षशिला जैसी जगहों पर सारा साहित्य है, और संस्कृति है, उसकी रक्षा हम नहीं कर पायें, उसका मतलब यह होगा कि जो हमारी राष्ट्रीय नीति वांचनालयों के सम्बन्ध में और शिक्षा के सम्बन्ध में हो सकती है, उस पर कहीं न कहीं पुनर्विचार की आवश्यकता है और इसी लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाकर इस पर विचार करना जरूरी है जिस के जरिए हम अपने देश की इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रख सकें।

सभापति महोदय: मंत्री जी ने वही कहा है।

श्री सत्यनारायण जटिया: हमारा उस में संदेह नहीं है, हमारी सरकार बराबर कहती रहती है, लेकिन उसके इम्पलीमेंटेशन में, कार्यान्वयन में जो सारी ढील होती है, हम उसके बारे में चिन्तित हैं।

इस बिल में जो आपने आश्वासन दिया है कि हम इस सारी बात को विकसित करेंगे हमारे यहां अनेक भाषाओं में साहित्य उपलब्ध है, ब्रह्मी, प्राची, पाली में साहित्य उपलब्ध है। ऐसा सारा साहित्य जो बिखरा हुआ है, उसको समेटने का काम कौन करेगा?

यह बात ठीक है कि हम नये भारत का निर्माण करने चले हैं, किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने पुरातन को, वेदों को भुला दें।

यह भारतवर्ष ही संसार का सिर-मौर है, ऐसा पुरातन देश क्या विश्व में कोई और है? संसार की भवभूतियों का प्रथम यही भंडार है, विधि ने किया नर-सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है।

ऐसा पूरातन देश, जो कि सारी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए सक्षम है, इस पुरातन देश की जो धरोहर हमें स्वतंत्रता के बाद मिली है, उनको भी अगर हम अक्षुण्ण न रख सकें तो यह उनकी भावनाओं के खिलाफ काम होगा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसलिए मेरा कहना है कि स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्रता और सांस्कृतिक धरोहर का विकास कर सकें, इसकी रक्षा कर सकें, इस बारे में एक ठोस नीति बना कर पूरी राष्ट्रीय नीति के बारे में कार्य किया जाना चाहिए। सरकार ने यह जो काम किया है उसको आग बढ़ाना चाहिए हमारी शिक्षा नीति बदलती रहती है। 11 कक्षाओं की व्यवस्था के स्थान पर टेन प्लस टू की पद्धति को लागू कर दिया जाता है और शिक्षा का सारा पैटर्न ही बदल जाता है। आजादी के 34 साल के बाद भी हमारी कोई स्पष्ट शिक्षा नीति नहीं बन पाई है। शिक्षा नीति के माध्यम से हम देश को बहुमुखी विकास की ओर बढ़ा सकते हैं। आज हमारा सारा टेलेंट विदेशों में चला जाता है, क्योंकि हम उसका आदर नहीं कर पाते उसको सम्मानित नहीं कर पाते। यदि सरकार यह व्यवस्था करे कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को शिक्षा के क्षेत्र में सुरक्षित

रखा जा सके, तो ज्यादा उपयोगी होगा।

SHRI MALLIKARJUN: I have already, in my main reply, mentioned about the maintenance and preservation of these things. There is nothing more to add.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

16.46 hrs.

CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration".

Before I indicate the main changes proposed in the Bill, I would like to mention briefly why this amending Bill is being brought. As the House may be aware, as early as in 1968, a Committee was appointed under the chairmanship of Justice G. D. Khosla to go into the question of the working of the Cinematograph Act and the whole gamut of censorship. The Committee submitted its report on 31st July, 1969. Copies of the report were placed before both the Houses.

In pursuance of the recommendations of the said Committee, a Bill was introduced in 1973 to amend the Act and it was passed. It received the President's assent on 23rd August, 1974. However, before the said Act was implemented, many representations were made from the film industry about the difficulties that they would have to face under the Act. Therefore, the Government decided to appoint a working group on national film policy. This working group submitted its report in May 1980. It is now in the light of this report and our previous experience that we have brought this amending Bill.

The main object of this amending Bill is to make certain provisions to streamline the machinery for examination of films and for prescribing new classifications for certification of firms. Subject to the limited power of revision to be exercised by the Central Government in the interest of specified overriding considerations, it is proposed to transfer the appellate jurisdiction of the Central Government under the Act to an independent appellate tribunal. It is also proposed to avail of this opportunity to amplify the principles for certification of the films under the Act in the light of the amendment made to Article 19(2) of the Constituton by the 16th Ammendment Act of 1963. The Bill seeks to achieve the above objects.

I will now mention the main changes proposed in the Bill. At present, according to Section 3 of the Act, in addition to a Chairman, the Board of Film Censors (to be called the Board of Film Certification) consists of not more than 9 members. It is proposed to amend the section to provide for an increase in the number of members of the Board from nine to not less than twelve and not more than twenty-five. This is being done so that we may have more regional offices of the Board. Now all films have to come to Bombay or Madras or Calcutta. There is representation from the Southern region which produces the maximum number of films—more than 500 films a year——that they should have facilities for getting certificates in those regions themselves. Now we could not do that with the number remaining at nine. The increase in the number of members will automatically give us the facility to have the regional offices.

Then, at present under Section 4 of the Act, films are classified as 'U" namely, unrestricted public exhibition and 'A', for public exhibition restricted to adults only. It is proposed based on